न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना माहवर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 25/2020 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

श्री जसराम पुत्र श्री बसन्ता जाट उम्र 25 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स अर्श डेयरी, कोयला फैक्ट्री, बिडयारी गांव के पास, श्री नरसिंग कॉलेज के पास, मुर्रकी, तहसील बयाना, जिला भरतपुर निवासी ग्रा0 नगला हरसुख, पो0 नाहरा चौथ, तह0 डीग जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. प्रार्थी उपस्थित

2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 20.10.2020

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 10.09.2020 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक 20.10.2020 को उपस्थिति हुआ। प्रार्थी उपस्थित। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक 20.10.2020 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

उक्त निरीक्षण फर्म/दुकान में 3 किग्रा0 ब
बटरियों के रूप में कुल 150 बट्टी (कुल वजन करीब 450 किग्रा9) पनीर
विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने
नियमानुसार मौके पर 1 किग्रा0 पनीर 250/–रूपये में क्रय किया गया त
उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपु
द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेष
की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–55/एक्ट/2020/125 दिनांक 12.02.2020 द्वा
उक्त पनीर का नमूना अवमानक स्तर (**Sub Standard**) प्रकृति का पाया गय
है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का पनीर आम जनता को विक्रय कर खाद्य
सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) एवं नियम व विनियम 2011
का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योकि प्रार्थी काफी समय से पनीर का निर्माण करता चला आ रहा है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल की यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल ने स्वयं को छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 03.02.2020 को गैरसायल की दुकान से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित पनीर का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 12.02.2020 में अवमानक स्तर (**Sub Standard**) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा पनीर का दुकान पर निर्माण करना बताया। गैरसायल के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। गैरसायल के व्यापार परिसर पर लगभग 450 किग्रा0 पनीर वक्त जांच संग्रहित पाया गया है। गैरसायल छोटे स्तर का व्यापारी है नहीं क्योकि उसके व्यापार परिसर से 450 किग्रा0 पनीर संग्रहित पाया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

कार्यालय मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी
भरतपुर

प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10000/– रूपये (दस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 20.10.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना माहवर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर